

# कार्यालय मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद ।

पत्रांक :- 7442 /46एम0-मु0क्षे0/13

दिनांक- 30-12-2015

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
बिजनौर ।

**विषय :-** जनपद बिजनौर में बदायूँ-बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग-51) मार्ग के किमी0-174 पर ग्राम चांदपुर तहसील-चांदपुर, जिला बिजनौर के खसरा सं0-2230M पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 गेरठ द्वारा पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

**सन्दर्भ :-** अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-3853/20काम-रा0वृत्त/15 दिनांक 18.12.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर के संदर्भित पत्र द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तों के तारतम्य में जनपद बिजनौर में बदायूँ-बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग-51) मार्ग के किमी0-174 पर ग्राम चांदपुर तहसील-चांदपुर, जिला बिजनौर के खसरा सं0-2230M पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, गेरठ को निम्न शर्तों के साथ लो0नि0वि0 से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

- 1- प्रस्तावित निर्माण कार्य संलग्न अनुमोदित प्लान के अनुसार ही कराना होगा।
- 2- निर्माण कार्य अनुमति प्राप्त होने के एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कराना आवश्यक होगा।
- 3- भू-स्वामित्व के आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 4- शासनादेश अनुसार लाईसेंस फीस एवं प्रोसेसिंग फीस से सम्बन्धित वांछित धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर के खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें।
- 5- प्रस्तावित निर्माण यदि विनियमित क्षेत्र, नगर पालिका/टाउन एरिया की सीमा में आता है तो निर्माण से पूर्व उनसे भी अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 6- प्रस्तावित निर्माण स्थल के सामने पुलिया एवं पहुँच मार्ग आवेदक को स्वयं के व्यय पर निर्माण कराना आवश्यक होगा एवं विधिवत अनुबन्ध कराना भी आवश्यक होगा।
- 7- भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव मार्ग के चौड़ीकरण का आता है तो नियमानुसार भूमे अधिग्रहण की कार्रवाई की जा सकेगी, जिसके लिए आवेदक सहमत होंगे।
- 8- प्रस्तावित निर्माण से सड़क यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
- 9- उपरोक्त प्लान के अनुसार निर्माण न करने अथवा उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर प्रदत्त स्वीकृति रपतः निरस्त मानी जायेगी।

अतः उपरोक्त प्रकरण अपने स्तर से जिलाधिकारी, बिजनौर को भिजवाना सुनिश्चित करें।

सलग्न :- 1-साईट प्लान-1

2-अधी0अभि0, रा0वृत्त का पत्र सं0-3853/

20काम-रा0वृत्त/15 दिनांक 18-12-15

(छाया प्रति सलग्न)

  
30/12  
(राजन मिस्तल)  
मुख्य अभियन्ता

**प्रतिलिपि :-** अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 18-12-15 के क्रम में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता  
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,  
मुरादाबाद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर

पत्रांक : / 27 / 9/11/15

दिनांक : 08.01.2016

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय  
बिजनौर

विषय :- मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 495/1 द्वितीय तल आरपीजी टावर, यूनिवर्सिटी रोड, मंगल माण्डेयनगर मेरठ को Village Chandpur, Tehsil Chandpur District Bijnor, on Badaun Bijnor Road के खसरा संख्या-2230 M में पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 1555/बीस आयुध सहायक दिनांक 07.09.2015 एवं मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक 7442/46एम7-मु0क्षे0/13 दिनांक 30.12.2015

महोदय,

विषयगत प्रकरण में मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु संस्तुति/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जो संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- प्रस्तावित निर्माण कार्य संलग्न अनुमोदित प्लान के अनुसार पूर्ण कराना होगा।
- 2- निर्माण कार्य अनुमति प्राप्त होने के एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कराना होगा।
- 3- भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 4- शासनादेश अनुसार लाईसेंस फीस एवं प्रोसेसिंग फीस से सम्बन्धित वांछित धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर के खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें।
- 5- प्रस्तावित निर्माण यदि विनियमित क्षेत्र, नगर पालिका/टाउन एरिया की सीमा में आता है तो निर्माण से पूर्व उनसे भी अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 6- प्रस्तावित निर्माण स्थल के सामने पुलिया एवं पहुँच मार्ग आवेदक को स्वयं के व्यय पर निर्माण कराना आवश्यक होगा एवं विधिवत अनुबन्ध कराना भी आवश्यक होगा।
- 7- भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव मार्ग के चौड़ीकरण का आता है तो नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए आवेदक सहमत होंगे।
- 8- प्रस्तावित निर्माण से सड़क यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
- 9- उपरोक्त प्लान के अनुसार निर्माण न करने अथवा उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

संलग्न :- सम्पूर्ण प्रकरण मूल में।

  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0  
बिजनौर

पत्रांक :

दिनांक :

प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके पत्रांक 7442/46एम0-मु0क्षे0/13 दिनांक 30.12.2015 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अवर अभियन्ता (प्रा0) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0  
बिजनौर